पत्र संख्या-एम-4-48/2012(खंड-I)-...4854.../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

उदयन मिश्रा, भा०प्र०से०
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
बिहार, पटना ।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक-..27/6/18

विषयः- GeM Portal पर उपलब्ध सामग्रियें एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में ।

प्रसंगः- वित्त विभागीय अधिसूचना 4733/वि0 दिनांक-25.06.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक अधिसूचना के अनुपालन में कहना है कि वित्त विभागीय अधिसूचना 1407/वि0 दिनांक 22.02.2018 द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में GeM Portal पर उपलब्ध सामग्रियें एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति दिनांक 01.04.2018 से अनिवार्य कर दिया गया। कतिपय विभागों द्वारा GeM Portal से कम मूल्यों की खरीद में समस्या प्रतिवेदित की जा रही है । GeM Portal पर आपूर्त्ति के लिए आदेश करते समय कई बार आपूर्त्ति आदेश राज्य के बाहर दूरस्थ क्षेत्रों के विक्रेताओं को न्यूनतम दर के कारण स्वतः मिल जाता है । कतिपय आपूर्त्तिकर्त्ताओं द्वारा राज्य में कम मूल्य के सामग्रियें की आपूर्त्ति दूरी के कारण किये जाने में रूचि नहीं दिखाई जाती है । इससे कम मूल्य के आवश्यक सामग्रियें के क्रय में विलंब होने के साथ-साथ कार्यालय का कार्य भी बाधित होता है ।कई सामाग्रियें के मामले में GeM Portal पर प्रदर्शित मूल्य बाजार मूल्य से अधिक होता है।वर्त्तमान में GeM Portal पूरी तरह से stable नहीं हो पाया है, जिस कारण इन समस्याओं का निराकरण ससमय नहीं हो पा रहा है ।

तत्काल कार्यहित में GeM Portal पर क्रय में कठिनाई होने पर आवश्यकतानुसार GeM Portal से बाहर ₹50,000/- तक के मूल्य के समाग्रियें की अधिप्राप्ति सचिवालय स्तर पर विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में उनके नियंत्री पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा ।

विश्वासभाजन,
27/6/18
(उदयन मिश्रा)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः-एम-4-48/2012(खंड-I)-...4854.../वि०, पटना, दिनांक..27/6/18...

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ सचिव(व्यय) के आप्त सचिव/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

संयुक्त सचिव 27/6/18